



583/1

दूरभाष 2280709
2280710

नव चंदना केन्द्र 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 220001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक : 4880 / 05 / 76 / पुक्त 2015-16

सेवा में

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभियान
जनपद-फरुखाबाद।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितायों तथा मलिन वरितायों में स्थीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितायों तथा मलिन वरितायों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में गिर्वालिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० मे०)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	1934002100114837	II-SC Code PUNB0193400	40.905 (धनराशि लाख.रु० मे०)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वाड़ का नाम	द्वितीय क्रियत की धनराशि का प्रेषण
1	फरुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० कायमगंज	नगर पालिका परिषद कायमगंज अल्प संख्यक बाहुल्य वरितायों के विभिन्न मोहल्लों में सोलर लाइट/विद्युत लाइट द्वारा प्रकाश व्यवस्था-115 नग	2.934
2	फरुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० कायमगंज	नगर पालिका परिषद कायमगंज मलिन वरितायों में पेयजल हेतु इण्डिया मार्का 11 हेंड पम्पों के स्थापन का कार्य।	7.043
3	फरुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० फरुखाबाद	नगर पालिका परिषद, फरुखाबाद अल्प संख्यक बाहुल्य वरितायों के विभिन्न मोहल्लों में सोलर लाइट/विद्युत लाइट द्वारा प्रकाश व्यवस्था। 150 नग	3.825
4	फरुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० फरुखाबाद	नगर पालिका परिषद फरुखाबाद में अल्प संख्यक बाहुल्य वरितायों/मलिन वरितायों में पेयजल हेतु इण्डिया मार्का	7.043
5	फरुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० फरुखाबाद	गो० वागरुस्ताम में वस्तावर साहब मुगार से रहीश के मकान तक पूर्व हुसीन के मकान से शरीफ के मकान तक नाली एवं पेवर ग्रिंक निर्माण कार्य।	4.878
6	फरुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० फरुखाबाद	मो० तलैया फजल इमाम मे० कासिम भाई के मकान से गरिबद तक नाली एवं पेवर ग्रिंक निर्माण कार्य।	4.721
7	फरुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० फरुखाबाद	मो० तलैया फजल इमाम मे० पीपुल मान्दर से कासिम भाई के मकान होते हुये मसिजद तक नाली एवं पेवर ग्रिंक निर्माण कार्य।	10.461
	योग				40.905

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितायों तथा मलिन वरितायों में रु०१००० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्थीकृत ठी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रादली में रखा जायें।

- उपरोक्त सरकार के द्वारा जारी शारानादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितायों तथा मलिन वरितायों में रु०१००० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्थीकृत ठी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रादली में रखा जायें।
- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी रूद्धना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।



583/2

दूरधारा- 2286703
2286710

नव चेताना कंदू, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 220001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

- 3— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर राक्षण्य रतर से तकनीकी रवीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तपतश्वात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4— अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य संरक्षण अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि रवीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की रिक्ति में प्रश्नगत धनराशि तकाल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5— स्थानीय रतर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के राख गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं स्थानीय रसाकार/स्थानीय विधि/नियम पर्वे पर्यावरणीय वाच्यता के अन्तर्गत यदि कोई रवीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6— प्रश्नगत परियोजनाओं में रवीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका के सुरागत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7— परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नमर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई वादा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9— उक्त धनराशि दूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्णों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी। एवं रवीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि स ही समय से पूर्ण हो जायें।

10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय कर्ता की रुक्ति पर कठीनी सम्भवती अनिवार्य प्रिक्षिक प्रतिवर्णों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह रवीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमत्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद की अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अकिञ्चित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी रुक्ति मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की रिक्ति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमत्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भीतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सच्चाना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

पुस्तकालय

(लाल प्रसाद राहं)
विल्स नियमनक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूक्ष्माशे प्राप्त है।

- परियोजना निदेशक, जिला नगराय।
 - अपर निदेशक, सूडा।।
 - अधिभ अभियन्ता-सूडा।
 - कम्प्युटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक